



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128577

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20477 वर्ष 2026

अशलोक कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शीतला प्रसाद पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 78/2026 अंतर्गत धारा 137(2), 87, 351(3), 115(2), 352 बीएनएस (पुलिस स्टेशन गौर, जिला बस्ती) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की उम्र लगभग 15 साल थी। हालाँकि, जब बीएनएसएस की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, तो पीड़िता ने खुद को लगभग 17 साल का बताया। उसने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में यह भी कहा कि वह पिछले 1-2 साल से आवेदक से बात कर रही थी और उसकी माँ उसे परेशान करती थी। 06.03.2026 को पीड़िता घर से निकलकर प्रयागराज पहुँची। इसके बाद, उसने ट्रेन से मुंबई की यात्रा की। उसने आगे कहा कि वह अपनी माँ द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण घर से भागी थी। उसके घर से भागने में आवेदक की कोई भूमिका नहीं थी। उसके माता-पिता ने आवेदक पर झूठा आरोप लगाया था और वह अपने माता-पिता के घर वापस नहीं जाना चाहती है। यह भी माना गया है कि आवेदक और पीड़िता के बीच कोई शारीरिक संबंध

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नहीं बना था। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को देखते हुए आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है। पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं है। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने आवेदक पर बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक 12.05.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की आवेदन का विरोध किया और कहा कि अपराध में शामिल होने के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

7. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **अशोक कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बीएनएसएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएसएसएस के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बीएनएसएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026

नितेंद्र